

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 378] नई दिल्ली, शनिवार दिसम्बर 11, 1982/अग्रहायण 20, 1904
No. 378] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 11, 1982/AGRAHAYANA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधीक्षक

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1982

सं. 288/82-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 754(अ) —केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकाहित में आवश्यक है, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले और तेल और गैस के विद्योहन और प्रवाह को मॉनिटर करने के लिए नए और प्राकृतिक गैस आयोग (फिटन परियोजना) द्वारा कम्प्यूटर और दूर-संचार परियोजना के अंतर्गत या अभिन्न संस्थापनों को प्रदाय किए जाने वाले सभी

मान को, उक्त अधिनियम की धारा 3 क अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-
शुल्क से छूट दती है ,

परन्तु उक्त माल की निकासी से पूर्व तल और प्राकृतिक गैस आयोग से इस
प्रभाव का कि माल उसक अपतट या अभितट सन्स्थापना क लिए आश्रयित है,
इन्फैटानिकी विभाग द्वारा सम्यक् रूप स प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र समन्वित
अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

2 यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी समा-
हित है, प्रभावी रहेगी ।

[फा म 71/33/81-सी एक्स -2]

डी सेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi the 11th December, 1982

NO 288/82 Central Excise

G.S.R. 754(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of the
rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government, being satis-
fied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts all
goods, falling under the First Schedule to the Central Excise and Salt Act
1944 (1 of 1944), for supply to off-shore or on-shore installations of Computer
and Telecommunication Project for monitoring exploration and flow of crude
and gas by the Oil and Natural Gas Commission (Project Titim), from the
whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act,

Provided that before clearance of the said goods a certificate from the
Oil and Natural Gas Commission to the effect that the goods are intended for
its off-shore or on-shore installations, duly countersigned by the Department of
Electronics shall be produced to the proper officer

2 This notification shall remain in force upto and inclusive of the
31st December, 1984

[F No 71/33/81 CX 2(P)]

D MEHRA, Under Secy